दिनांक 29.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 37/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 07 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 59 किलो 245 ग्राम अवैध गांजा (जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये), 05 अदद एन्ड्रायड फोन व 01 अदद कीपैड फोन, 01 अदद मो0सा0 हीरो सुपर स्प्लेण्डर, 01 अदद मो0सा0 बजाज प्लेटिना व 15,750/- रूपये नगद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 के मार्ग दर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), ए0एन0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 07 सक्रिय तस्करों जिनका नाम (1) संजय त्रिपाठी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद त्रिपाठी निवासी अकबरपुर सिपाह थाना कडाधाम जनपद कौशाम्बी (2) संदीप कुमार पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम नेवारी थाना करारी जनपद कौशाम्बी (3) पंकज विश्वकर्मा पुत्र सोम शर्मा निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा जी0टी0 रोड सैनी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी (4) रामकुमार सोनकर पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम शहजादपुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी (5) राहुल यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम दुर्ग सराय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ (6) सुनील जायसवाल पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा जी0टी0 रोड सैनी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी (7) सुनील कुमार पटेल पुत्र परमानन्द पटेल निवासी मुरली का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर, कब्जे से 59 किलो 245 ग्राम अवैध गांजा (जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये), 05 अदद एन्ड्रायड फोन व 01 अदद कीपैड फोन, 01 अदद मो0सा0 हीरो सुपर स्प्लेण्डर, 01 अदद मो0सा0 बजाज प्लेटिना व 15,750/- रूपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी में मु0अ0सं0 367/2025 धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों द्वारा पूछने पर बताया गया कि जिस दुकान से यह गांजा बरामद हुआ है वह अभियुक्त सुनील जायसवाल की है, जिस दुकान को एक व्यक्ति ने किराये पर लिया है, उसी ने यह किराये की दुकान पर गांजा मंगवाया था। आज गांजे की सफ्लाई होनी थी। यह लोग इसी में से गांजा खरीदने के लिए पूर्व में उस व्यक्ति को रूपये दे चुके है, इसलिए आज यह गांजा लेने आये थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्तगणों से पूछताछ में काफी लाभप्रद जानकारियाँ प्राप्त हुयी है जिसके सम्बन्ध में फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पर कार्य करते हुए, इस अपराध में संलिप्त इसके अन्य सहयोगियों के विरूद्ध भी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. संजय त्रिपाठी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद त्रिपाठी निवासी अकबरपुर सिपाह थाना कडाधाम जनपद कौशाम्बी।
2. संदीप कुमार पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम नेवारी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।
3. पंकज विश्वकर्मा पुत्र सोम शर्मा निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा जी0टी0 रोड सैनी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।
4. रामकुमार सोनकर पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम शहजादपुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।
5. राहुल यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम दुर्ग सराय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
6. सुनील जायसवाल पुत्र स्व0 फूलचन्द्र निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा जी0टी0 रोड सैनी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।
7. सुनील कुमार पटेल पुत्र परमानन्द पटेल निवासी मुरली का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांकः 29.10.2025, स्थानः आरोपी सुनील जायसवाल का मकान बहदग्राम मुराईन का पुरवा जी0टी0 रोड सैनी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।

कुल बरामदगीः–

1. 59 किलो 245 ग्राम अवैध गांजा (जिसकी कीमत 30 लाख रुपये)
2. 01 अदद मो0सा0 हीरो सुपर स्प्लेण्डर

3. 01 अदद मो0सा0 बजाज प्लेटिना
4. 05 अदद एन्ड्रायड फोन व 01 अदद कीपैड फोन
5. एक अदद इलेक्ट्रानिक तराजू
6. 15750/– रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकीः–

1. प्र0नि0 श्री अयनुद्दीन थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
2. उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
3. उ0नि0 श्री पुरुषोत्तम विश्वकर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
4. उ0नि0 श्री मनीष कुमार दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
5. हे0का0 आदिल हाशमी थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
6. हे0का0 सुनील राय थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
7. का0 अभिषेक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
8. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
9. का0 अमरपाल थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।

सहयोगार्थ टीमः– थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी ।

जनपद मेरठ/थाना सदर बाजार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 लाख 74 हजार 100 रूपये नगद**
- **भारी मात्रा में पीली धातु के आभूषण**
- **02 मोबाइल फोन, 01 घड़ी**
- **01 वरना कार आदि बरामद**

दिनांक 29.10.2025 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कंकरखेडा फ्लाई ओवर के पास से अभियुक्त राजेश कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 05 लाख 74 हजार 100 रूपये नगद, भारी मात्रा में पीली धातु के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, 01 घड़ी, 01 वरना कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि 11.10.2025 को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ व मध्यप्रदेश एवं जम्मू कश्मीर प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त अम्बाला हरियाणा से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु अम्बाला हरियाणा से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश कुमार निवासी ग्राम धांका थाना नोसेरा जनपद राजौरी जम्मू कश्मीर।

बरामदगी

1—05 लाख 74 हजार 100 रूपये नगद।

2—भारी मात्रा में पीली धातु के आभूषण।

3—02 मोबाइल फोन, 01 घड़ी।

4—01 वरना कार आदि।

जनपद मेरठ/थाना खरखौदा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28.10.2025 की रात्रि थाना खरखौदा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेरठ—हापुड़ मार्ग पर खरखौदा कट, बारातघर के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आसिफ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खरखौदा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खरखौदा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आसिफ निवासी ग्राम उलधन थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 कार**
- **04 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 आरसी, 02 आधार कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 28.10.2025 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौधरपुर तालाब के पास से 02 अभियुक्तों 1–दीनदयाल 2–इंतल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 कार, 04 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 आरसी, 02 आधार कार्ड आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो किराये पर गाड़ी लेकर धोखाधड़ी से उनके कूटरचित नम्बर प्लेट व कागजात तैयार कर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीनदयाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।

2–इंतल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–06 कार।

2–04 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 आरसी, 02 आधार कार्ड आदि।

- **जनपद संतकबीरनगर/थाना महुली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(1)/351(3) बीएनएस 5(जे)(3)एल/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मथुरा/थाना मगोर्रा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना मगोर्रा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बलवीर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चन्दौली/थाना अलीनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना अलीनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मनोज 2–अशोक को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————